बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं०– 06/2018, बिहार न्यायिक सेवा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के कुल 349 (तीन सौ उनचास) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक–27.11.2018 एवं 28.11.2018 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस विज्ञापन के साथ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 349 (तीन सौ उनचास) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :–

क्र॰ सं॰	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	175	62
2.	अनुसूचित जाति	56	21
3.	अनुसूचित जनजाति	03	01
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	73	25
5.	पिछड़ा वर्ग	42	14
	कुल	**349**	**123**

नोट:– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 588, दिनांक– 17.01.2017 के प्रावधानानुसार अस्थि विकलांग उम्मीदवारों हेतु 01 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत् 03 (तीन) पद अस्थि विकलांग उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा। चयनित विकलांग (निःशक्त) उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर–आरक्षित वर्ग से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत आरक्षित/गैर–आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता** :– बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण।
   शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. **उम्र सीमा** – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–6906, दिनांक 08.06.2017 एवं पत्रांक–10936, दिनांक– 13.08.2018 के आलोक में उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा हेतु कट–ऑफ–डेट दिनांक– 01.08.2017 को 22 वर्ष से अधिक एवं अधिकतम उम्र सीमा कट–ऑफ–डेट दिनांक– 01.08.2013 को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। परन्तु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए (महिला एवं अस्थि विकलांग श्रेणी सहित) तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

4.(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–17283, दिनांक–28.12.2016 के आलोक में प्रावधान निम्नवत है:–

1. प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में योग्य होने के लिए अर्हतांक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 5 प्रतिशत कम होंगे।
2. महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रत्येक सिद्धान्त विषय के लिए 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे एवं कुल प्राप्तांक से 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे।
3. महिला एवं अस्थि विकलांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 05 (पाँच) से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे।

(ii) **चयन का आधार** :– **नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।**

लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

(क) परीक्षा के अनिवार्य विषय–

क्र॰ सं॰	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

(ख) **परीक्षा के ऐच्छिक विषय :– (किसी तीन विषय)**

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :–

क्र॰ सं॰	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त ऐच्छिक विषयों में से किसी तीन विषयों का चयन उम्मीदवारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के क्रम में किया जा चुका है, जिसमें परिवर्तन मान्य नहीं है।

उपर्युक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–16645, दिनांक 03.12.2014 के आलोक में मौखिक (साक्षात्कार) परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी)**

असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।

5. आरक्षणः

(i) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र
(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र
(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

6. शुल्क :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/ दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं। **प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के समय भरे गये कोटि के अनुसार परीक्षा शुल्क मान्य होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।**

7. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–**

1.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक 14.01.2019 से 23.01.2019 तक
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	28.01.2019 तक
3.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	05.02.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट–: जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक–23.01.2019 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

(i) ध्यातव्य है कि आवेदक द्वारा 30वीं बिहार न्यायिक सेवा वि0 सं0–06/2018 प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाईन आवेदन के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नही है। आवेदक शेष रिक्त बॉक्स में उनसे संबंधित विवरण एवं ऑनलाईन आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(v) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/ Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

(vi) **मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है।**

8. महत्वपूर्ण निर्देशः–

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक–05.02.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–**

(a) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/ मैट्रिक का अंक पत्र(जन्म तिथि के लिए);

(b) विधि स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र;

(c) विधि स्नातक का अंक पत्र;

(d) बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से विधि स्नातक डिग्री की मान्यता से संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

(e) भुगतान से संबंधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;

(f) आचरण प्रमाण पत्र;

(g) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र;

(h) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र तथा राज्य के स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।**

(i) अस्थि विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;

(j) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(k) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) **यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।**

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) **इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, बैंक रसीद एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की कम से कम एक प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड**

कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।

9. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची **(Address Slip)** एवं प्रेषक पर्ची **(Sender's Slip)** को लिफाफे पर चिपकायेंगे।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

14. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना